Helpline 1064 94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **राजसमंद में अजमेर डिस्कॉम का सहायक अभियंता 1500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *10 जुलाई, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर राजसमंद इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये धर्म सिंह महावर सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वृत–देवगढ़, जिला राजसमंद को परिवादी से **1500 रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक)** ने बताया कि ए.सी.बी. की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मोबाईल टॉवर में बिजली का कनेक्शन लगाने की एवज में धर्म सिंह महावर सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वृत–देवगढ़, जिला राजसमंद द्वारा **2 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी राजसमंद इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अनूप सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये धर्म सिंह महावर पुत्र श्री रामजीलाल निवासी विराट नगर कॉलोनी, शी सिंह डेयरी के पास, थाना अलवर गेट, अजमेर हाल सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वृत–देवगढ़, जिला राजसमंद को परिवादी से **1500 रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक)** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।